तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

28.6.19

पत्रावली पेश हुई।
वादी अधिवक्ता उप0। प्रतिवादी पैरोकार उप0।
उभय पक्ष को सुना।

वादी ने इस आशय का वाद प्रस्तुत किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 2 से 07 की संयुक्त व अविभाजित पैतृक खातेदारी का एक खेत मौजा तेजरावा स्वांगियाजी तह0 शिव जिला बाडमेर के खसरा नम्बर 516, 518, 546 रकबा क्रमशः 92.16, 162.07, 7.11 बीघा किस्म बा.सो. के आये हुआ है तथा इनके अलावा ग्राम बाटाडा तह0 शिव के खेत खसरा नम्बर 56 रकबा 58.08 बीघा का आया हुआ है व वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 से 07 को विरासत मे प्राप्त हुई है। वादी के पिता जवारसिंह के देहान्त के समय ग्राम बाटाडा की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 56 रकबा 58.08 बीघा भूमि मे वादी का सही नाम परबतसिंह पुत्र जवारसिह नामान्तरकरण खोला गया, परन्तु ग्राम तेजरावा स्वागियाजी स्थित भूमि खसरा नम्बर 516, 518, 546 रकबा क्रमशः 92.16, 162.07, 7.11 बीघा कुल रकबा 262.14 बीघा भूमि में वादी के सही नाम परबतसिंह पुत्र जवारसिंह के स्थान पर पाबूसिंह पुत्र जवारसिंह दर्ज हो गया वादी के अन्य सभी आवश्यक सरकारी दस्तावेजो मे भी वादी का नाम परबतसिंह पुत्र जवारसिंह दर्ज है। अतः वादी ने वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपने नाम के शुद्विकरण हेतु वाद प्रस्तुत किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी राज पैरोकार को सम्मन जारी किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार शिव ने अपने जबाव मे वादी के नाम को दुरूस्त किये जाने मे अपनी अनापति जाहिर की है। वादी ने अपने ब्यान शपथ पत्र में दस्तावेज वादी ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजात नकल वर्तमान जमांबंदी, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड व अन्य दस्तावेजात प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व मौखिक अभिकथनों तथा प्रतिवादी राजपैरोकार के जवाब का अवलोकन किया। जिसमें वादी का नाम परबतसिंह पुत्र जवारसिह सही है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 516, 518, 546 रकबा क्रमशः 92.16, 162.07, 7.11 बीघा किस्म बा.सो. के आये हुआ है तथा इनके अलावा ग्राम बाटाडा तह0 शिव के खेत खसरा नम्बर 56 रकबा 58.08 बीघा का आया हुआ है व वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 से 07 को विरासत मे प्राप्त हुई है। वादी के पिता जवारसिंह के देहान्त के समय ग्राम बाटाडा की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 56 रकबा 58.08 बीघा भूमि मे वादी का सही नाम परबतसिंह पुत्र जवारसिह नामान्तरकरण खोला गया, परन्तु ग्राम तेजरावा स्वागियाजी स्थित भूमि खसरा नम्बर 516, 518, 546 रकबा क्रमशः 92.16, 162.07, 7.11 बीघा कुल रकबा 262.14 बीघा भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम पाबूसिंह पुत्र जवारसिंह के स्थान पर परबतसिंह पुत्र जवारसिंह घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।
निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिव, जिला-बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिव
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह आई.ए.एस.

वादी :– परबतसिह पुत्र जवारसिंह,जाति– राजपूत, नि0 बाटाडा, तह0 शिव

बनाम

प्रतिवादी :– 1. राजस्थान राज्य तहसीलदार शिव।
2. जेठुसिह, 3. किशोरसिंह, 4. बागसिह, 5. सांवलसिंह, 6. राजुसिंह पुत्र नखतसिंह, 7. छगनकंवर पत्नी नखतसिह, जाति– राजपुत, नि0 बाटाडा, तह0 शिव।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
उपस्थिति :– 1. श्री ब्रजमोहन कुमावत एडवोकेट– वादी।
2. प्रतिवादी संख्या 01 राज पैराकार उप0।

अन्तिम डिक्री

वादी एवं प्रतिवादीगण को आज दिनांक 28.06.2019 को सहायक कलक्टर शिव के समक्ष अन्तिम रूप से निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:–

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 516, 518, 546 रकबा क्रमशः 92.16, 162.07, 7.11 बीघा किस्म बा.सो. के आये हुआ है तथा इनके अलावा ग्राम बाटाडा तह0 शिव के खेत खसरा नम्बर 56 रकबा 58.08 बीघा का आया हुआ है व वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 से 07 को विरासत मे प्राप्त हुई है। वादी के पिता जवारसिंह के देहान्त के समय ग्राम बाटाडा की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 56 रकबा 58.08 बीघा भूमि मे वादी का सही नाम परबतसिंह पुत्र जवारसिह नामान्तरकरण खोला गया, परन्तु ग्राम तेजरावा स्वागियाजी स्थित भूमि खसरा नम्बर 516, 518, 546 रकबा क्रमशः 92.16, 162.07, 7.11 बीघा कुल रकबा 262.14 बीघा भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम पाबूसिंह पुत्र जवारसिंह के स्थान पर परबतसिंह पुत्र जवारसिंह घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

निर्णय आज तारीख 28.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

(प्रताप सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 12:40:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: